

23-11-2020

जो 10-11-2020
हुक्म

आज पत्रावली अधिभाषक द्वारा पेश प्रार्थना पत्र के आधार पर पेश हुई प्रार्थना पत्र में जबरन पत्रावली में रजिनामा करने हेतु निवेदन किया गया पत्रावली

48
20/11/2020

का हाथपत्र किया गया उ भयपक्ष उपस्थित रहे रजिनामा ~~अनुसार~~ उ भयपक्षों को पक्षार सुनाया गया जिसको सुनकर पक्षकारान सहमत हुए रजिनामों को अधिभाषकगण द्वारा प्रमाणित किया गया।

अतः प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र में अंकित रजिनामों अनुसार सम्भार लेने पर दोनों पक्षकारान के उत्तर करवाये गये जिससे अधिभाषकगण द्वारा प्रमाणित किया गया रजिनामा ~~स्वीकार~~ स्वीकार किया जाता है पत्रावली फसल शुमार लेकर नम्बर से काम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 23-11-2020 को पूरे न्यायालय में सुनाया गया।

